

# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

# विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की शुक्रवार, दिनांक 28/02/2014 को समय मध्यान्ह 12.00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

- 01. विद्या—परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 07.01.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (कार्यवृत्त संलग्न है)
- 02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा / विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है —

<del></del>	महाविद्यालय	कक्षा / विषय	চ্যার	सत्र	निरीक्षण समिति	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
	का नाम	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	संख्या	111	के सदस्य	ागरादाण सामात द्वारा टाप
1.	सेंट थॉमस महाविद्यालय, रूआबाधा, भिलाई, जिला–दुर्ग	बी.एस—सीIII Industrial Chemistry	30	2013—14	<del> </del>	महाविद्यालय में आधारभूत संरचना पर्याप्त है। नियमित शिक्षक है। प्रयोगशाला भी पर्याप्त है। पुस्तकें भी छात्रों हेतु पर्याप्त है। तद्नुसार
2	ए.व्ही.एस. प्रेसीडेंसी इंटरनेशनल कालेज, माना, धमतरी रोड, रायपुर	1. B.ScIII (Biotechnolog y) 2. B.ComIII 3. B.B.AIII 4. B.C.AIII	60 40 60	2013-14	1. प्रो. एस.के. जाधव, अध्यक्ष, बायोटेक्नालॉजी, अ.शा. पं. र.शु. वि.वि. रायपुर 2. प्रो. आशीष कुमार श्रीवास्तव, प्रबंधन संस्थान, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर	शर्ते – 1. बी.एस.सी. I,II,III के लिये केवल एक प्रयोगशाला रसायन विज्ञान एक जैवप्रौद्योगिकी एवं

क्रि.	महाविद्यालय	कक्षा / विषय	চ্যান্ত	सत्र	निरीक्षण समिति	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
	का नाम		संख्या		के सदस्य	
3	शास. नारायण राव मेघावले कन्या महाविद्यालय, धमतरी,	B.AII- History B.ComII	50	2013-14	<ol> <li>प्रा. आर. क.</li> <li>ब्रम्हे, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर</li> </ol>	निरीक्षण तिथि — 20.12.2013 महाविद्यालय को बी.ए. द्वितीय वर्ष में इतिहास विषय तथा बी.काम. द्वितीय वर्ष की कक्षायें प्रारम्भ करने हेतु पात्रता प्रदान किया
	जिला–धमतरी				2. डॉ. के.के. अग्रवाल, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, जामगांव (आर)	जाता है। निम्नलिखित शर्ते पूर्ण करने की आवश्यकता है। शर्ते — 1. महाविद्यालय की स्वयं का भवन निर्माण किया जाय। 2. इतिहास एवं कामर्स के संबंधित कक्षाओं की पुस्तकों 5—5 हजार की क्रय की जाय।
						3. संबंधित विषयों में नियमित प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाय।
4	दिशा लॉ कालेज, बलौदाबाजार मार्ग, मंदिर हसौद, जिला—रायपुर	approved the R and Recognition	cil of Ind 2008 thro ules on S on of Deg	ough resoluti tandards of l rees ('BCI E	विनीता अग्रवाल, शास.जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर	
5	पं. देवीप्रसाद चौबे शासकीय महाविद्यालय, गंडई, जिला— राजनांदगांव	B.ScII - FC, Maths, Chemistry, Physics	50	2013-14	01. प्रो. के. एस. पटेल, रसायन अध्ययनशाला, 02. प्रो. आर. एन. बघेल, भौतिकी अध्ययनशाला 03. प्रो. बी. एस. ठाकुर, गणित	निरोक्षण तिथि — 24.01.2014 शर्ते — All infrastructures and facilities (i.e. faculties, labs, PC and books) required are available to run B.ScII Courses (i.s. FC, Hindi, English, Maths, Physics & Chamistry) Kindly allow the

<b></b>	महाविद्यालय	कक्षा / विषय	চ্যান্ত	सत्र	निरीक्षण समिति	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
	का नाम	,	संख्या		के सदस्य	
6	शासकीय	बी.एस.सी —	80	2012-13	1. डॉ. के.एस.	निरीक्षण तिथि — 08.02.2014
	काव्योपाध्याय	प्रथम वर्ष (बायो	(40+40)	:	पटेल, आचार्य,	शर्ते —
	हीरालाल	ग्रुप) सीट वृद्धि—40			रसायनशास्त्र	महाविद्यालय का निरीक्षण 08.02.
	i -	सीट वृद्धि—40			अध्ययनशाला पं.	2014 को किया गया।
	महाविद्यालय,	(पूर्व सीट सं. –			र.शु.वि.वि.	महाविद्यालय के पास स्वयं का
	अभनपुर,	80)			रायपुर	भवन, 16.84 एकड जगह एवं
	जिला–रायपुर				2. डॉ. ए.के.	अधोसंरचना पर्याप्त है। क्लास
					गुप्ता, आचार्य	क्तम एवं प्रयोगशाला की संख्या
					एवं अध्यक्ष,	पर्याप्त है। फर्नीचर् एवं उपकरण
					जैविकी	भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
				•	अध्ययनशाला प.	महाविद्यालय के ग्रंथागार में
					र.शु.वि.वि	विज्ञान संकाय की 1500 पुस्तकें
					रायपुर	है। यू.जी.सी. मद से अतिरिक्त
						पुस्तके क्रय किया जाना प्रस्तावित
						है। महाविद्यालय में वनस्पति
					·	विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान के 1–1
						नियमित सहायक प्राध्यापक है।
						रसायन शास्त्र में जनभागीदारी से
					ļ	1 सहायक प्राध्यापक संविदा में
						नियुक्त है। प्राचार्य भी रसायन
						शास्त्र विषय के हैं।
7	शासकीय	B.ComII	60	2013-14	01. डॉ. प्रमोद	
	महाविद्यालय,	B.AII	60		कुमार शर्मा, आचार्य	
	बलौदा,	B.ScII	60		एवं अध्यक्ष, समाजशास्त्र अ.शा.	
	जिला–महास				02. प्रो. आशीष	
	मुंद				02. प्रा. आशाप   कुमार श्रीवास्तव,	
					प्रुनार जापाराय, प्रबंधन संस्थान,	
					03. डॉ. अरविंद	
					ा । । गिरोलकर,	
				1	प्राचार्य, शास.दू.	
					ब. महिला महा.,	
	1			1	रायपुर	

निरीक्षण तिथि - 23.02.2014

शर्ते –

विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 12765/अका./2013 रायपुर दिनांक 4.12.2013 के अनुसार शास. महाविद्यालय, बलौदा, जिला—महासमुंद में B.A. II (60) सीट, आ.पा., भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन, B.Com. II (60) सीट आ.पा., व्यवसाय प्रबंध व लेखांकन, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, B.Sc. II (60) आ.पा., रसायनशास्त्र, वनस्पति व जन्तु विज्ञान विज्ञान के लिए आज दिनांक 23.02.2014 को निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न तथ्य पाये गये।

1. शासकीय महाविद्यालय का स्वयं का भवन नहीं है महाविद्यालय पूर्व माध्यमिक शाला के अतिरिक्त भवन में लगता है। लेकिन शासन के द्वारा 15 एकड़ जमीन दी गई है। दस्तावेज संलग्न है।

2. अध्यापक के लिए 4 कमरे एवं 2 हाल हैं जो वर्तमान में पर्याप्त है।

3. महाविद्यालय में अभी प्रभारी प्राचार्य है। महाविद्यालय में शिक्षकों की संख्या 09 है, जिसमें 02 नियमित तथा 07 अतिथि व्याख्याता है।

4. खेल मैदान अभी नहीं है।

5. बी.एस.सी. के लिए प्रयोगशाला है, जिसे विकसित किये जाने की आवश्यकता है।

6. ग्रंथागार है।पुस्तकों की संख्या 1893 है। अतः छात्र अनुपात में पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है।

7. अध्यापन कार्य हेतु नियमित शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने और आवश्यकता है।

<del>क्र</del> .	महाविद्यालय	कक्षा / विषय	চ্যান্ত	सत्र	निरीक्षण समिति	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
<i>A</i>	का नाम	,	संख्या		के सदस्य	
8	श्री सांई	B.Ed	100	2014-15	1. प्रो. बशीर	
	कालेज,				हसन, संचालक,	
	प्लाट नं.				अध्यापक शिक्षा	
	<b>-286 / 1</b> ,				संस्थान एवं	
	286 / 2, 291,			į	आचार्य	
	देउरझाल,				मनोविज्ञान पं.	
	नंदनी,	टीप: एन.सी.टी.ई. के विनियम			रविशंकर शुक्ल	
	जिला–दुर्ग	2009 की धा			विश्वविद्यालय,	
		intent जारी	का गइ ह	1	रायपुर	
		1			2. डॉ. डी.पी.	
				·	बिसेन, भौतिकी	
					अध्ययनशाला,	
					पं रविशंकर	
			1		शुक्ल	
					विश्वविद्यालय,	
					ļ	
			<u> </u>		रायपुर	)

#### निरीक्षण तिथि – 21.02.2014

शर्ते –

We inspected Shri Sai College, Plot No. 286/1, 286/2, 291, Deorghal, Nandaini, Durg on 21-02-2014 at 10.30 AM College has applied fro running B.Ed. Course with 100 Seats. Our observation are as follows:

- 1. The College has its own land of 2.06 Hct. 19117.2 Sq.ft.
- 2. The Built up area of the building of the said college is 241190.83 Sq.ft.
- 3. The building is satisfactory for running B.Ed. Course with 100 student.
- 4. One Science Lab, one psychology lab, one E.T. Lab, one craft room, one computer room with 25 systems with internet connection are available. There are separate common rooms for boys and girls.
- 5. There are arrangement of Indoor and outdoor games in the college beside one activitity room.
- 6. Safe drinking water facility is availbale. Separate toilets for boys. girls and staff, are also availbale.
- 7. One Principal and 9 teaachers were physically present. We talked then separately. The have shown their willingness to render their services to the istitute, if recognized. Their affidavits are enclosed in the file. Six non-teaching staffs are also available. The appointment of a temporary principal has already been made.
- 8. The library of the college has 3006 books and 5 Journals 2 periodicals besided.
- There is a separate music room in the college.
   On the strength of the above observations the institution is eligible for affiliation.

महाविद्यालय	कक्षा / विषय 🔰 छात्र	सत्र	निरीक्षण समिति	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
का नाम	संख्या		के सदस्य	
का नाम	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	विनियम के तहत	के सदस्य  1. प्रो. बशीर हसन, संचालक, अध्यापक शिक्षा एवं आचार्य मनोविज्ञान पं. र.श.शु.वि.वि. रायपुर  2. डॉ. प्रतिमा अवस्थी, अपर संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, एकीकृत भवन, पेंशन बाड़ा,	

निरीक्षण तिथि - 03.02.2014

शर्ते –

We inspected Ravishankar Global Education College, Dhaneli, Raipur on 03-02-2014 at 10:30 AM The College has applied for running B.Ed. Course with 100 seats. Our observation are as follows:

The College has its own land of 1.00 hectare.

2. The built up area of the building of the said college is 24190.83 Sq.feet.

3. There are one big hall and all total 31 rooms in the college premises.

4. One Science Lab, one psychology lab, one E.T. Lab, one craft room, one computer room with 25 systems with internet connection are availbale. There are separate common rooms for boys and girls.

5. There are arrangement of Indoor and outdoor games in the college beside one activity room.

6. Safe drinking water facility is available. Separate toilets for boys. girls and staff, are also available.

7. One Principal and 9 teachers were physically present. We talked then separately. They have shown their willingness to render their sercices to the institute, if recognized. Their affidavits are enclosed in the file. Six non-teaching staffs are also available. The appointment of a temprary principal has already been made.

8. The library of the college has 3117 books and 11 Journals 2 periodicals and 5 news papers.

9. There is a separate music room in the college.

On the strength of the above observations the institution is eligible for affiliation.

03. पूर्व संचालित मनसा कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.— 1451/1, कोहका रोड, पोस्ट—जामुल, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.) को सत्र 2014—15 से बी.एड. अतिरिक्त 100 सीट की अस्थायी संबद्धता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

टीप : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के पत्र क्रमांक No. WRC /APP1461/191<sup>st</sup> /B.Ed.(Addl.)/ 2013/109598 dated 30.10.13 के द्वारा अतिरिक्त 100 सीट वृद्धि की मान्यता प्राप्त हो गया है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न) इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 11728/अका./2013 दिनांक 26.08. 2013 के द्वारा स्टाफ प्रोफाइल सत्यापित किया गया है।

04. शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, भाटापारा की सम्बद्धता के संबंध में विचार करना।

टिप : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.08.2013 में निर्णय —

"एल.एल.बी. एवं बी.ए.एल.एल.बी. के बारे में शासन का स्पष्ट आदेश नहीं है। बार काँसिल से अनुमित

प्राप्त होने पर सम्बद्धता की कार्यवाही किया जावे। शासन द्वारा पाठ्यक्रम के निर्धारण पश्चात्

महाविद्यालय को बार काँसिल के लिए एन.ओ.सी. जारी की जावे।" के अनुसार बार काँसिल ऑफ

इंडिया के लिए NOC दिया गया है।

शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, भाटापारा को बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने अपने अनुमोदन के पूर्व पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से बी.ए.एल.एल.बी. पांच वर्षीय पाठ्यक्रम की सम्बद्धता दिनांक 31.01.2014 तक प्रस्तुत करने हेतु महाविद्यालय को मौखिक निर्देश दिया है जिसके संदर्भ में बार कौसिंल ऑफ इंडिया के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है।

The Bar Council of India in its meeting held on September 14, 2008 through resolution no. 110/2008, approved the Rules on Standards of Legal Education and Recognition of Degrees ('BCI Education Rules, 2008' के अनुसार **Prior affiliation by the University** है।

05. जय हिन्द महाविद्यालय, लोहानी बिल्डींग, महासमुंद, जिला—महासमुंद के स्थान परिवर्तन की सूचना ग्रहण करना ।

टीप : जय हिन्द महाविद्यालय, लोहानी बिल्डींग, महासमुंद, जिला—महासमुंद के प्राचार्य का पत्र कं. JHC/665/2013-14 दिनांक 13.01.2014 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश पृ. क्रमांक 6311/2877/2013/38—2 दिनांक 11.12.2014 के द्वारा जय हिन्द महाविद्यालय को स्वयं के भवन, नवीन परिसर में अध्ययन—अध्यापन हेतु स्थानांतरण करने सशर्त आदेश दिया गया है, (आदेश की प्रति संलग्न हैं)।

जय हिन्द महाविद्यालय का नवीन पता — "जय हिन्द महाविद्यालय, महासमुंद, जिला—महासमुंद (छ.ग.)" किये जाने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

06. श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग के स्थान परिवर्तन की सूचना ग्रहण करना ।

टीप: श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, सेक्टर-6, मिलाई नगर, जिला-दुर्ग के प्राचार्य का पत्र कं. 581/SSM/2014 दिनांक 13.01.2014 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश पृ. क्रमांक 6391/2875/2013/38-2 दिनांक 19.12. 2013 के द्वारा श्री शंकराचार्य महाविद्यालय को स्वयं के भवन, नवीन परिसर जो कि ग्राम जुनवानी, भिलाई, जिला-दुर्ग में स्थित है, स्थानांतरण करने सशर्त आदेश दिया गया है, (आदेश की प्रति संलग्न हैं)।

श्री शंकराचार्य महाविद्यालय का नवीन पता — "श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, ग्राम जुनवानी, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.)" किये जाने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

07. शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका—नेवरा, जिला—रायपुर का शासन के आदेशानुसार परिवर्तित नाम "सत्य नारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका—नेवरा, जिला—रायपुर" स्वीकृत किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका—नेवरा, जिला—रायपुर के नाम परिवर्तन के संबंध में मध्यप्रदेश शासन शिक्षा विभाग का आदेश पत्र पृ. क्र. एफ 73/119/उ.शि./2002 दिनांक 21.10.02 के द्वारा "सत्य नारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका—नेवरा, जिला—रायपुर" प्रदान किया गया है। पत्र की छायाप्रति

संलग्न है। 08. विनियम—90 Endowment Fund (डॉ. शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक) के संशोधन के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप : विनियम—90 Endowment Fund (डॉ. शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक) के संशोधन किये जाने हेतु गठित समिति द्वारा दिनांक 24.01.2014 को संशोधित रेगुलेशन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

09. एम.ए. छत्तीसगढ़ी में स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने एवं विनियम क्रमांक 153 के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप: डॉ. व्यास नारायण दुबे, बी-2/5, मानस कुंज, लोकमान्य गृह निर्माण समिति, रोहिणीपुरम, रायपुर- 492010 ने अपने पिता स्व. मनराखन लाल दुबे की स्मृति में सत्र 2013-14 एम.ए. छत्तीसगढ़ी में सर्वाधित अंक प्राप्त करने वाले पुरूष छात्र को स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने हेतु B.No./R.No. Gbk-254 Dated- 22-Jan.-2014 के द्वारा रूपये 50,000/- आदेशानुसार विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया गया है। इस आशय का प्रस्तावित विनियम 153 का अनुमोदन एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

10. एम.ए. छत्तीसगढ़ी में स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने एवं विनियम क्रमांक 154 के अनुमोदन पर विचार करना।

टीपः श्री रिव दुबे, कल्पतरू, प्रोफेसर कालोनी, कुबेर विहार, सेक्टर—3, गली नं.—13, रायपुर—492010 ने अपने माता स्व. (श्रीमती) शकुन्तला देवी दुबे की स्मृति में सत्र 2013—14 एम.ए. छत्तीसगढ़ी में सर्वाधित अंक प्राप्त करने वाले मिहला छात्रा को स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने हेतु B.No./R.No. Gbk-301 Dated- 03-Feb.-2014 के द्वारा रूपये 50,000/— आदेशानुसार विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया गया है। इस आशय का प्रस्तावित विनियम 154 का अनुमोदन एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

11. अध्ययन मंडलों द्वारा सत्र 2014—15 के लिए पाठ्यक्रमों के निर्धारण हेतू की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए गठित अध्ययन मंडलों ने वर्ष 2014–15 के लिए पाठ्यक्रमों के निर्धारण हेतु अपनी अनुशंसा प्रदान कर दी है। अध्ययन मंडलों के अनुशंसा को उनके संबंधित संकायों द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है जो निम्नानुसार है :-

- सूची "A" के अनुसार उल्लेखित पाठ्यक्रमों को वर्ष 2013-14 के अनुरूप रखे जाने का निर्णय लिया गया है।
- 2. सूची "B" के अनुसार उल्लेखित पाठ्यक्रमों के अध्यादेश में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है।
- 3. शेष बचे पाठ्यक्रमों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है जो वर्ष 2014—15 में प्रभावी होंगे।

- 12. विज्ञान संकाय एवं सामाजिक विज्ञान संकाय की संयुक्त बैठक दिनांक 10.02.2014 के अनुशंसा का अनुमोदन करना।
  - टीप: (1) एम.ए. मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम में जो छात्र विज्ञान संकाय के विषयों को उत्तीर्ण करने के पश्चात् नियमित प्रवेश प्राप्त करेगा, उसे एम.एस.सी. मनोविज्ञान की उपाधि प्रदान करने, अध्ययन मण्डल की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया। (प्रस्ताव परिनियम 10 एवं अध्यादेश 170 में समावेश के संबंध में कार्यपरिषद् एवं समन्वय समिति के समक्ष रखा जाना है।)
  - (2) गणित अध्ययन मण्डल की अनुशंसा के आधार पर एम.एस.सी. गणित के लिये बी.ई. के स्नातक छात्रों को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश देने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।
- सामाजिक विज्ञान संकाय की बैठक दिनांक 17.12.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने पर विचार करना।
  - टीप: (1) अधिनस्थ अध्ययन मण्डलों में पाठ्यक्रम 2014—15 के लिए अनुशंसित पाठ्यक्रम का सर्वसम्मत से अनुमोदन किया गया।
  - (2) इतिहास एवं राजनीति विज्ञान के अध्ययन मण्डलों की बैठक पुनः आहुत करके उनके वैकल्पिक प्रश्नपत्रों को कम करने के अध्यक्षों के निवेदन को स्वीकार किया।
- 14. सत्र 2012-13 एवं 2013-14 की वार्षिक संबद्धता हेतु महाविद्यालय की सूची :--

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम
	2012—13
01	विवेकानंद महाविद्यालय, भानसोज, जिला-रायपुर
02	क्रिकारीय बाह्य स्राहेत भीमरात अम्बेडकर महाविद्यालय, डोंगरगाव, जिला-राजनादगाव
03	शासकीय स्व. विरेन्द्र बहादूर सिंह महाविद्यालय, सराईपाली, जिला-महासमुंद
	2013—14
	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद महाविद्यालय, धनोरा रोड, रिसाली, भिलाई, जिला-दुर्ग
01	डा. राजन्द्र प्रसाद महाावधालय, यगारा राज, ररसारा, राज्य,
02.	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा, जिला-बेमेतरा
03.	शासकीय महाविद्यालय, मोहला, जिला–राजनांदगांव

15. विश्वविद्यालय अध्ययन शालाओं में संचालित पाठ्यक्रमों में क्रेडिट बेस सिस्टम लागू किये जाने के संबंध में रेगुलेशन 149 में आवश्यक संशोधन किये जाने पर विचार करना।

टीप\_: कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

अध्यक्ष की अनुमित से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

कुलसचिव



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 13087 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2014

रायपुर, दिनांकः ०९ / 01 /2014

विश्वविद्यालय विद्या—परिषद् की स्थायी समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 07.01..2014 मध्यान्ह 2.30 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे —

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	_	अध्यक्ष
2.	प्रो. ए.के. गुप्ता	_	सदस्य
3.	प्रो. सी.एल. पटेल	_	सदस्य
4	प्रो. स्वर्णलता सर्राफ	_	सदस्य
5.	प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	_	सदस्य
6.	प्रो. भगवंत सिंह		सदस्य
<b>7.</b> .	प्रो. सी.डी. अगासे		सदस्य
8.	प्रो. ए.के. श्रीवास्तव	The state of the s	सदस्य
9.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव		सचिव

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की ओर से नवनियुक्त संकायाध्यक्षों, एवं सदस्य प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान, प्रो. भगवंत सिंह, प्रो. सी.डी. अगासे तथा प्रो. ए.के. श्रीवास्तव का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

### बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या—परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.12.2013 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि की गई ।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा / विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है —

<del>क्र</del> .	महाविद्यालय	कक्षा / विष	চ্চান্ত	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा	निर्णय
,	का नाम	्य.	संख्या		टीप	
1.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, मगरलोड, जिला—धमतरी	B.ComII - Compulsory Subjects, Env.Sc.  B.AII - Hindi, English, Env.Sc., Geography, History, Sociology B.ScII - Hindi, English, Env.Sc., Chemistry, Botany, Zoology	60	2013-14	निरीक्षण तिथि—31.12. 2013 शर्ते — 1. महाविद्यालय के पास अपना भवन नहीं है। महाविद्यालय प्राथमिक शाला के भवन में संचालित हो रहा है। 2. छात्रों के लिए अध्ययन कक्ष की संख्या पर्यापत नहीं है। 3. नियमित प्राध्यापक एव सात सहायक प्राध्यापक कार्यरत हैं।	गई। इस संबंध में संचालनालय उच्च शिक्षा को भी जानकारी दी जाए।

कक्षा / विष य	<b>छा</b> त्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
			4. ग्रंथालय में पस्तकों	
			को रखने की व्यवस्था	
			नहीं हैं, उ.मा. शाला	
			क प्रयागशाला में प्रायोगिक कार्य किया	
	1		जा रहा है।	
1		ļ		•
Í			है।	
		}	7. गत वर्ष का बजट आबंटन संलग्न है।	
			. संख्या	य संख्या टीप  4. ग्रंथालय में पुस्तकों को रखने की व्यवस्था नहीं है।  5. प्रयोगशाला की सुविधा नही हैं, उ.मा. शाला के प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य किया जा रहा है।  6. शासन के द्वारा भूमि आबंटन किया गया है।  7. गत वर्ष का बजट

स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संशोधित विनियम 129 में (6.1) विहित शुल्क के संबंध में 03. विचार करना।

निर्णय : स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संशोधित विनियम 129 में (6.1) विहित शुल्क एवं निरीक्षण समिति के गठन के संबंध में समिति की निम्नानुसार की गई अनुशंसा, का अनुमोदन किया गया-

- (1) [A] स्नातक स्तर पर प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु आधार पाठ्यक्रम के साथ प्रथम तीन मुख्य विषय के लिए रू. 15,000/- एवं प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु रू. 10,000/-
  - [B] स्नातकोत्तर स्तर हेतु प्रत्येक विषय के लिए रू. 15,000/-
- तीन सदस्यी निरीक्षण समिति का गठन निम्नानुसार प्रस्तावित है –

(1) संकायाध्यक्ष

समन्वयक

(2) अध्यक्ष, अध्ययन मंडल

सदस्य

विषय विशेषज्ञ

सदस्य

एम.एस.सी. बायोसाइंस में स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने एवं विनियम क्रमांक 152 के अनुमोदन पर 04. विचार करना।

निर्णय : एम.एस.सी. बायोसाइंस में डॉ. एस.एम. अगरवाल के नाम से प्रस्तावित स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने एवं इस हेतु प्रस्तावित विनियम क्रमांक 152 का अनुमोदन किया गया।

सत्र 2013-14 की वार्षिक संबद्धता हेतु महाविद्यालय की सूची :--05.

	क्रमांक	निवद्यालयं की सूची :	
-		11271	
	01	महाविद्यालय का नाम नानकचंद रमेशचंद अग्रवाल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, खरोरा, जिला–रायपुर दिशा कालेज ऑफ मैनेजमेंट स्टूडीज जनगर कि	1
ł		ा पर पद रमेराचंद अगुगाल क्रम <del>पर्न - ०</del>	r
ŀ	02	दिशा कानेन वर्षेत्र की रिवा रामान वर्षेत्र किला रामान	ĺ
-		दिशा कालेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, चन्दखुरी, विधानसभा रोड, रायपुर	ĺ
		र पेंचुप, पियानसमा रहि, रायपर	
•	ज्याले <del>क</del> र		

निर्णय : उपरोक्त महाविद्यालयों को सत्र 2013-14 के लिये वार्षिक अस्थायी संबद्धता आदेश प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

# अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण

01. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्र. 1055/49/आउशि/समन्वय/2013 दिनांक 03. 12.2012 पर विचार करना।

निर्णय : स्नातक पाठ्यक्रमों में एन.सी.सी. को अध्यापन हेतु आवश्यक शिक्षकों की व्यवस्था होने पर वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग को पत्र भेजी जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति अध्यक्ष

**कुलसचिव** सचिव

पृ. क्र.<u>13</u>088/अका./वि.प.स्थायी समिति/2014

रायपुर, दिनांकः 🔿 🗗 / 01 /2014

#### प्रतिलिपि :--


समस्त संकायाध्यक्षों को,

2. सहायक कुलसचिव, परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय

वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,

4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

उप कुलसविव (अका.)



Section 7(1)(h) enumerates the function of the Bar Council of India as 'to promote legal education and to lay down standards of such education in consultation with the Universities in India imparting such education and the State Bar Councils'

The Bar Council of India in its meeting held on September 14, 2008 through resolution no. 110/2008, approved the Rules on Standards of Legal Education and Recognition of Degrees ('BCI Education Rules, 2008')

Salient features of the applicable rules are the following:

#### Condition precedent

Prior affiliation by the University

### Library & ICT facilities

- \* Adequate library facilities: AIR manual, Central Acts, Local Acts, Criminal Law Journal, AIR, SCC, Company Cases
- Subscription to online database
- At least 10 Internet access points with desktop facilities
- Reading room
- 🛸 Qualified library staff
- Trinking water and rest room facilities shall be available in library premises
- Library shall have adequate reading space for at least 25% of enrolled students

# University Autonomy & Courses

- Muniversities are free to design their academic programs
- \* However, courses stipulated under BCI Education Rules, 2008 are mandatory

#### Classroom

- The maximum intake in each section the class is 60 students
- For an intake of 60 students in each section, a classroom size of (30 X 50 = 1500) sft is necessary
- Special classrooms and tutorial classroom shall have space of at least 20 sft per student

### Faculty Qualification

Full-time members of the faculty shall possess at least Master of Laws (LLM) degree or as prescribed by the UGC

Members of the faculty teaching clinical program may be drawn from retired judicial officers or from the Bar

- ... Visiting faculty from the profession, judiciary or academia shall have a minimum experience of 10 years
- There shall be sufficient number of full-time members of the faculty who shall be, if necessary, supported by part-time and visiting faculty
- Members of the faculty shall be paid according to UCC pay scales
- Faculty workstation shall be at least 100 sft per workstation

#### <u>Infrastructure</u>

- Clear title to land and buildings
- Land shall be adequate to house academic buildings, library, indoor and outdoor sports facilities and, if applicable, halls of residence for male and female students separately
- \* Academic building shall provide separate classrooms for each section sufficient to accommodate sixty students and other rooms for the purposes of tutorial work, moot court, students' common room and library
- Separate restrooms for male/female 10 units per 100 students
- Minimum capital fund of Rupees 10 lakhs
- Dedicated academic building
- \* Adequate facilities for indoor and outdoor games

#### Legal Aid

Each institution shall establish and run a legal aid clinic under the supervision of a senior faculty member

#### Laboratory

Institutions running integrated law programs shall have adequate library facilities for science, engineering and technology courses if courses are offered in the stream

## Head of the Institution

Principal/Head/Dean shall have minimum qualifications as prescribed by the UGC

[The aforemetioned salient features are for the purposes of information only and shall not be relied upon as legal advice. Please refer to BCI Education Rules, 2008 for detailed information]



# मनसा शिक्षा महाविद्यालय

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबंद्ध नेक द्वारा बी (2.29) श्रेणी प्रदत्त



# Mansa College of Education Affiliated to Pt. R.S.S.U. Raipur NAAC Accredited with B (2.29) grade

क्रमांक *150*3

दिनांक *12-11-13* 

प्रति.

कुल सचिव महोदय पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, छ.ग. Par Jogy

विषय: - बी.एड. (100 अतिरिक्त सीट) सम्बंधीकरण के सम्बन्ध में ।

संदर्भ :- NCTE भोपाल की मान्यता आदेश कमांक WRC/APP1461/191\*/B.Ed.(Addl)/2013/109598 दिनांक 30.10.2013 (छायाप्रति संलग्न)

महोदय,

निवेदन है कि इस महाविद्यालय में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम में अतिरिक्त 100 सीट के लिए WRC, NCTE भोपाल द्वारा Recognition order सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी किया गया है, उसकी छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त आदेश सत्र 2014–15 में लागू होगा, इसके लिए, आपके द्वारा सम्बद्धता आदेश जारी करने के लिये विनम्र निवेदन है।

बी.एड. की अतिरिक्त 100 सीट के लिये विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता हेतु निरीक्षण कर लिया गया है। अतः आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें एवं सम्बन्धीकरण — आदेश भी जारी करें।

धन्यवाद

भवदीय



प्राचार्य मन्त्रे मनसा शिक्षा महाविद्यालय कोहका रोड, कुरूद, भिलाई

# राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

## (भारत सरकार का एक विधिक संस्थान) पश्चिम क्षेत्रीय समिति



## National Council for Teacher Education (A Statutory Body of the Government of India) Western Regional Committee

#### To Be Published in Gazette of India Part III Section 4

F. No. WRC/APP1461/191st/B.Ed. (Addl.)/2013/109598

Date: 30-10-13

#### Recognition Order

Whereas, in terms of Section 15(1) of the NCTE Act, 1993, Mansa College of Education, Plot no. 1451/1, Street no. Kohaka Road, Post - Jamul, City - Bhilai, Durg, Chhattisgarh -490024, (Code No. WRCAPP1461) had submitted an application on 09.09.2011 to the Western Regional Committee of the NCTE for grant of recognition/permission of additional intake in existing B.ED. course with an annual intake of additional 100 students.

- 2. And whereas, on scrutiny/perusal of the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of report and videography, recommendation of the State Government, the Committee is satisfied that the institution has adequate financial resources, accommodation, library, laboratory and that it fulfills such other conditions required for proper functioning of the institution for B.Ed., as determined by clause 7(9) of NCTE Regulations, 2009, and decided to issue letter of intent dt. 07.06.2013.
- 3. And whereas, reply dt. 03.09.2013 submitted by the institution was considered by WRC in its 191st meeting held on October 21 - 23, 2013 and committee is satisfied that the institution has adequate financial resources, accommodation, library, qualified staff, laboratory and that it fulfills such other conditions required for proper functioning of the institution for B.Ed. course, as determined by the NCTE Regulations 2009.
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section 14 (3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Western Regional Committee hereby grants recognition to Mansa College of Education, Plot no. 1451/1, Street no. Kohaka Road, Post - Jamul, City - Bhilai, Durg, Chhattisgarh -490024, (Code No. WRCAPP1461), for starting B.Ed. course of Secondary level of 1 year duration with an annual intake of additional 100 (Hundred) seats from the academic Session 2014-15, as per the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 13.12.2012 in W.P. (Civil) 276/2012.
- 5. Further, the institution is required to comply with all post-recognition conditions enumerated from clause 8(11) to clause 8(16) of the NCTE (Recognition, Norms & Procedure) Regulations 2009.
- 6. The society sponsoring the institution shall transfer and vest the title of the land and building in the name of the institution within a period of six months from the date of this order and submit the documents to the Western Regional Committee. However, in case the society fails to do so due to local laws or rules or bye-laws, it shall intimate in writing with documentary evidence of its inability

7. The institution shall make admissions only after it obtains affiliation from the examiningbody in terms of clause 8(12) of the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009 for the academic session 2014 - 2015.

Continue.....

मानस भवन, श्वामला हिल्स, भोपाल-462002

Manas Bhawan, Shyamla Hills, Bhopal-462002

दूरभाष / Phone: 0755-2739672, 2660915, 2660379, 2660372, फेक्स/Fax: 0755-2660912

Website: www.nctewrc.co.in E-mail: wrc@ncte-india.org

NCTE HQrs. Website: www.ncte-india.org

- 8. The recognition will operate for 2014-2015 only if the requirement of 200 teaching days in the session is fulfilled as per calendar of the University/Affiliating Body.
- 9. The institution shall ensure that the required number of academic staff for conducting the course is always in position.
- 10. The institution shall adhere to the mandatory disclosure in the prescribed format and display up-to-date information on its Official website.
- 11. If, at any time, either on sue-motto inspection or on any representation received from any person, the WRC, NCTE is satisfied that the institution has contravened any of the provisions of the NCTE Act, or the Rules, Regulations, Orders made or issued there under or any condition subject to which the recognition was granted, the recognition may be withdrawn under the provisions of section 17 (1) of the NCTE Act.

(Sunil Srivastava) Regional Director

Encl: As above

The Manager to Govt. of India Press Department of Publications, (Gazette Section) Civil Lines, Delhi - 110054

Copy to:

The Principal, Mansa College of Education, Plot no. 1451/1, Street no. Kohaka Road, Post – Jamul, City – Bhilai, Durg – 490024, Chhattisgarh.

2. The Secretary, Vasuki Memorial Sanchalan Samiti, Plot no. 1451/1, Street no. Kohaka Road, Post – Jamul, City – Bhilai, Durg - 490024, Chhattisgarh.

3. The Secretary, (Higher Education), Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Raipur, Chattisgarh - 492001.

4. The Registrar, Pt. Ravi Shankar Shukla University, Amanaka G.E. Road Raipur - 492010, Chhattisgarh.

5. The Director; Education Chhattisgarh State Council of Educational Research & Training, Shankar Nagar, Raipur-492006.

6. The Secretary, Dept. of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi – 110001.

7. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110002.

8. Office Order file/Institution file WRCAPP1461 (Addl).

Regional Director



The Bar Council of India, in its meeting held on September 14, 2008 through resolution no. 110/2008, approved the Rules on Standards of Legal Education and Recognition of Degrees ('BCI Education Rules, 2008')

The following are a few salient features of the applicable rules:

#### Condition precedent

Prior affiliation by the University

#### Library & ICT facilities

- Adequate library facilities: AIR manual, Central Acts, Local Acts, Criminal Law Journal, AIR, SCC, Company Cases
- Subscription to online database
- At least 10 Internet access points with desktop facilities
- Reading room
- Qualified library staff
- Drinking water and rest room facilities shall be available in library premises
- Library shall have adequate reading space for at least 25% of enrolled students

#### **University Autonomy & Courses**

- Universities are free to design their academic programs
- However, courses stipulated under BCI Education Rules, 2008 are mandatory

#### Classroom

- The maximum intake in each section the class is 60 students
- For an intake of 60 students in each section, a classroom size of (30 X 50 = 1500) sft is necessary
- Special classrooms and tutorial classroom shall have space of at least 20 sft per student

#### **Faculty Qualification**

- Full-time members of the faculty shall possess at least Master of Laws (LLM) degree or as prescribed by the UGC
- Members of the faculty teaching clinical program may be drawn from retired judicial officers or from the Bar
- Visiting faculty from the profession, judiciary or academia shall have a minimum experience of 10 years
- There shall be sufficient number of full-time members of the faculty who shall be, if necessary, supported by part-time and visiting faculty
- Members of the faculty shall be paid according to UCC pay scales
- Faculty workstation shall be at least 100 sft per workstation

-114

- Clear title to land and buildings
- Land shall be adequate to house academic buildings, library, indoor and outdoor sports facilities and, if applicable, halls of residence for male and female students separately
- Academic building shall provide separate classrooms for each section sufficient to accommodate sixty students and other rooms for the purposes of tutorial work, moot court, students' common room and library
- Separate restrooms for male/female 10 units per 100 students
- Minimum capital fund of Rupees 10 lakhs
- Dedicated academic building
- Adequate facilities for indoor and outdoor games

#### Legal Aid

 Each institution shall establish and run a legal aid clinic under the supervision of a senior faculty member

#### Laboratory

Institutions running integrated law programs shall have adequate library facilities for science,
 engineering and technology courses if courses are offered in the stream

#### Head of the Institution.

Principal/Head/Dean shall have minimum qualifications as prescribed by the UGC

The information provided above is not exhaustive. Please refer to the BCI Education Rules, 2008 for detailed information.

For more information about legal education in India, including standards and details of affiliation and recognition, please write to dlebci@gmail.com

Click here to see the Advocates Act, 1961

Click here to see Parts I, II and III of the Bar Council of India Rules

Click here to see Part IV of the Bar Council of India Rules (Rules on Legal Education)

Click here to see Parts V, VI, VII, VIII and IX of the Bar Council of India Rules

© 2012 Bar Council of India | All rights reserved

Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services



# Jai Hind College, Mahasamund (C.G.)

(Affiliated to Pt. Ravishankar Shukla University Raipur, C.G) Bhalesar Road, Near Gas Godown Ward no: 20, Mahasamund, Pin:493445 Phone: 07723204055, 9424205255, email id: jaihindcollege@in.com

Ref. No. JHC/ 665/2013-14

दिनॉक: 03/01/2014

प्रति,

श्रीमान कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर (छ.ग.) Shop Relestary

2.1.14

विषय:- स्थल परिवर्तन की अनुमति बाबत् ।

संदर्भ:- 1. उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. का आदेश क्रमांक 6311/2877/2013/38-2 रायपुर दिनांक 01.12.2013 ।

जय शिक्षण समिति का पत्र क्रमांक JSS / 12 / 05 / 15 दिनांक 26.05.2012 ।
 महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत निवेदन है कि जय हिन्द कालेज भवन के लिये जमीन क्रय की गई है तथा उस पर सर्व सुविधायुक्त भवन का निर्माण किया गया है । जो कि उक्त जमीन एवं भवन भलेसर रोड़ वार्ड क्रमांक 20, गैस गोदाम के पास महासमुन्द में स्थित है । महाविद्यालय में दो बड़ा हाल, एक बड़ी लाइब्रेरी एक बड़ा कम्प्यूटर लैब, अध्यापन के लिये 16 कमरे, बिजली एवं पानी की व्यवस्था इन्टरनेट की सुविधा, छात्रों के लिये 04 टायलेट एवं बाथरूम, छात्राओं के लिये 05 टायलेट एवं बाथरूम, तथा भवन के साथ खेल का बड़ा मैदान है । भवन निर्माण नगर पालिका द्वारा प्रमाणित है ।

उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन द्वारा जय हिन्द कालेज के नवीन स्थान पर स्थानांतरण के लिये अनुमति प्राप्त हो गया है । जिसकी प्रति साथ में संलग्न है ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि छात्रहित को ध्यान में रखते हुये अतिशीघ्र नवीन स्थल पर स्थानांतरण की अनुमति प्रदान करने की महती कृपा करें ।

सधन्यवाद !

महाविद्यालय के नये स्थल का पता:— जय हिन्द कालेज वार्ड नं. 20, भलेसर रोड़ गैस गोदाम के पास महासमुन्द (छ.ग.)

स्थान : महासमुन्द

दिनांक : 03 / 01 / 2014

PRINCIPAL CIRCO JAI HIND COLLEGE MAHASAMUND (C.G.)

संलग्न :- छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग महानदी भवन, नया रायपुर के स्थान परिवर्तन की आदेश प्रति ।

(1896)

छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग ः मंत्रालयः

महानदी भवन, नया रायपुर

/ /आदेश/ /

Rm 28/1/2012

रायपूर, दिनांक /12/2013

/2877/2013/38—2 :: राज्य शासन एतद् द्वारा जय हिन्द महाविद्यालय, क्रमांक महासमुंद को, उनके आवेदन दिनांक 03.10.2012, भौतिक सत्यापन हेतु गठित समिति की अनुशंसा दिनांक 07.04.2012 तथा कलेक्टर महासमुंद का पत्र क्रमांक क/516/एस.सी. 01/2013 महासमुंद, दिनांक 10.10.2013 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आधार पर संस्था के स्वंय के भवन जय हिन्द महाविद्यालय, महासमुंद पर शैक्षणिक सत्र 2013-14 से, छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 की धारा 18(1) के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन, स्थल परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाती है :--

- 1. संस्था द्वारा, पूर्व स्थल से नवीन स्थल पर स्थानांतरण के पश्चात्, पूर्व स्थल पर स्थित महाविद्यालय में उपलब्ध समस्त समान सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी।
- 2. उपरोक्त अनुमित शासन द्वारा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
- 3. संस्था द्वारा किसी भी परिस्थिति में महाविद्यालय परिसर, अन्य किसी शैक्षणिक एजेन्सी को हस्तांतरित नहीं की जावेगी एवं छ.ग. शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित नियमों का पालन करना होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अरूण कुमार चांदे) अवर सचिव छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग रायपुर, दिनांक / / 12 / 2013

पू. क्रमांक 🗇 🗎 / 2877 / 2013 / 38-2 प्रतिलिपि :-

01. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।

02. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।

03. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

04. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।

05. सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

06. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ०ग०)।

07. कर्लेक्टर, जिला-महासमुंद (छ०ग०)।

08. विश्लोष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ०ग०)।

09 प्राचार्य, जय हिन्द महाविद्यालय, महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ०ग०)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव ्रिक्छ**ग**ि शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Smit Boy



# SHRI SHANKARACHARYA MAHAVIDYALAYA

SECTOR-6, BHILAINAGAR (C.G.) (NAAC Accredited with B+ Grade)

(RECOGNISED BY GOVT. OF C.G. AFFILIATED TO Pt. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR)

No	182	/SSM/	2014
----	-----	-------	------

DATE: 13/01/2014

प्रति.

उपकुलसचिव (अका.) पं रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर (छ.ग.)

In standie comittee

महाविद्यालय स्थल परिवर्तन की अनुमति के संबंध में । विषय -

उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन का पत्र क्र. 6391/2875/2013/38-2 दिनाँक संदर्भ --19 / 12 / 2013 |

महोदय.

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित निवेदन है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय के स्थल परिवर्तन हेतु अनुमित प्रदान कर दी गई है। (आदेश की छायाप्रति

संलग्न)

अतः आपसे निवेदन है कि महाविद्यालय स्थल परिवर्तन की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

धन्यवाद

PRINCIPAL

Shri Shankaracharya Mahavidyala Sector-VI, Bhilai (C.G.)

Website: www.ssmv.ac.in

E-mail: ssmbhilai@yahoo.co.in

X

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग ः मंत्रालयः महानदी भवन, नया रायपुर //आदेश//

Simi Shankaracharya Mahavi	dyalays
Sector-6, Bhilai (C.G.)	}
Received 23/12/	<i>I-</i> 3
At Seria, iv. 37.5	
By	********

रायपुर, दिनांक /12/2013

क्रमांक /2775/2013/38—2 ः राज्य शासन एतद् द्वारा श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, सेक्टर—6, भिलाई का, भौतिक सत्यापन हेतु गठित समिति की अनुशंसा दिनांक 16.06.2013 तथा कलेक्टर दुर्ग का पत्र क्रमांक 14543/वरि.लि.पि./2013, दिनांक 27.11.2013 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आधार पर संस्था के स्वंय के भवन नवींन परिसर ग्राम—जुनवानी, भिलाई, जिला—दुर्ग पर शैक्षणिक सत्र 2014—15 से, छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 की धारा 18(1) के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन, स्थल परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाती है :—

- 1. संस्था द्वारा, पूर्व स्थल से नवीन स्थल पर स्थानांतरण के पश्चात्, पूर्व स्थल पर स्थित महाविद्यालय में उपलब्ध समस्त समान सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी।
- उपरोक्त अनुमित शासन द्वारा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
- 3. संस्था द्वारा किसी भी परिस्थिति में महाविद्यालय परिसर, अन्य किसी शैक्षणिक एजेन्सी को हस्तांतरित नहीं की जावेगी एवं छ.ग. शासन द्वारा समय—समय पर प्रसारित नियमों का पालन करना होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अरूण कुमार चांदे) अवर सचिव छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विमाग रायपुर, दिनांक 19 / 12/2013

पृ. क्रमांक **(** 39 ( / 2875 / 2013 / 38-2 प्रतिलिप :--

01. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।

02. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।

03. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

04. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।

05. सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

06. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ०ग०)।

07. कलेक्टर, जिला-दुर्ग (छ0ग०)।

08. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ०ग०)।

08. प्राचार्य, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, सेक्टर-6, मिलाई, जिला-दुर्ग (छ०ग०)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. आदेश फोल्डर।

3003/12/13

अवर सचिव भ्रिक्ठाग् शासन, उच्च शिक्षा विमाग

# कार्यालय प्राचार्य, सत्य नारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा (रायपुर) छत्तीसगढ

क्रमांकः 585 / 2014

कोहका, दिनांक 27.01.2014

प्रति.

कुलसचिव

पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय

\ रायपुर

विषय : महाविद्यालय के नाम के उपयोग में त्रुटि सम्बन्धी ।

संदर्भ : आपके पत्र क्रमांक

(क) 8951 / अ.का. / 2012 दिनांक 24.11.2012;

(ख) 12686/अ.का./सम्ब/वृद्धि/2013 दिनांक 28.11.2013; एवं,

(ग) आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर का पत्र क्रमांक F-73/119/उशि / 2602 दिनांक 21.10.2002

कृपया अपने संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। दोनों पत्रों में इस महाविद्यालय का नाम अलग अलग लिखा गया है। इस कारण NAAC द्वारा अपने महाविद्यालय के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन के लिये भेजा गया हमारा Lol रद्द कर दिया गया है। आपके द्वारा केन्द्र आवंटन, सम्बद्धता, एवं परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र/अंक सूची में अलग अलग नामों का प्रयोग किया जाता है और इनमें एकरूपता नहीं रही है।

कृपया विश्वविद्यालय के सभी विभागों को यह निर्देश दें कि वे इस महाविद्यालय का नाम अपने सभी अभिलेखों में एक समान उल्लेखित करें।

आपके ध्यान में यह तथ्य लाना भी प्रासंगिक होगा कि शासन ने आयुक्त के संदर्भित पत्रांक (ग) द्वारा इस महाविद्यालय का नाम संशोधित किया है और 2002 से इसका नाम आधिकारिक रूप से सत्य नारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा हो गया है। अतः भविष्य में इस महाविद्यालय के लिये केवल इसी नाम का प्रयोग करने का कष्ट करें!

संलग्नः

प्रतिलिपिः

पु. क्रमांकः 586/2014

तीनों संदर्भित पत्रों की छायाप्रति

(डॉ. एस.के. चटर्जी) PRINCIPAL.

Govt. Arts. & Comm. College Akehka-Neora, Raipur (C.G.)

कोहका, दिनांक 27.01.2014

आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर को सूचनार्थ.

(डॉ. एस.के. चटर्जी)

21321.2014

(205A)

## FITTE SPETTING THE PET HEATON THEY WE CAN FOR FAIRING toute by grattast factu

PATER

राष्ट्र, दिनां 🗝

्थि । कृतिक एक २३/१११/३०विष्य/२००२: राज्य ज्ञातन दारा नाराजीय स्था सर्व arthou nurfactous, elect four, fact-erage or six 700 si non-सारायन अनुवास जातकीय दला कर्व बाविना नेटावि वना, बोटना नेपरा, जिला राया किये वाने हा स्थाकृति वृदान में आती है।

> हत्तीत्यद हे राज्यात हे नाम ते aar ardargare

BUNTUM धरतीयम् शावन उच्च क्रिक्षा, तब्बीकी क्रिक्षा, बन्दाबित नियोज विद्यान रहे द्रीयोगिकी दिवान-

9050 to 73/119/30ft@/2602

## ष्रतिसिषः-

सारिय, भारत कुन क्षेत्री जी, हत्या भारत, राज्यर । ीन्य सर्विष, मान्य मंत्री बी/बान्य राज्य मंत्री बी, दिया, राज्य ।

828 िल सविद मान्छ राज्य संभी बी, उद्योग विमान, राज्यर । BIL

जीवरिका जेवाल, उपन विका, राज्य । 夏4夏 -

क्लेक्टर, जिला-सम्बद्ध 123

प्राथ्में, शास्त्र क्या वर्त वाकिन्य महाविधानय, तोहना देवरा, विद-सा 268

fant singer bluster, treet 478

की और सुपनार्थ एवं आव्याक कार्यवार्थी केंग्र केंग्रिश ।

उपलियम

वालीमध्य गामन

उथ्य विका, तक्नीकी विक्षा, बन्यावित निकीयन विद्यान एवं कृषितिकी विशास-

Govt. Arts, & Comm. College Kerka-Maria, Beirut 19

## प्रपत्र - दो

1 विश्वविद्यालय का नाम

: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

2. अधिनियम / अध्यादेश / परिनियम क्रमांक : Regulation No. 90

3. अधिनियम / अध्यादेश / परिनियम का नाम : Endowment Fund (डॉ. शंकर दया शर्मा स्वर्ण पदक)

 अनुशंसा के प्राधिकारी का नाम एवं अनुशंसा की तिथि धारा 52 (4) की स्थिति में कुलपित द्वारा अनुशंसा की तिथि : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.04.2005

वि.वि. अधिनियम/ अध्यादेश/ परिनियम क्रमांक	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	<b>औचित्य</b> संबंधित विषयों में
Regulation No. 90	2. यह धर्मादा निधि के मूल्य से ब्याज के रूप में प्राप्त विशुद्ध आय का उपयोग प्रतिवर्ष स्वर्ण-पदक देने हेतु किया जायेगा। यह स्वर्ण-पदक छात्र/छात्रा को उसके "General Proficiency including character conduct, Excellence in Academic Performance, Extra Curricular activities and Social Service" के आधार पर निर्णय कर प्रदान किया जावेगा।	2. यह धर्मादा निधि के मूल्य से ब्याज के रूप में प्राप्त विशुद्ध आय का उपयोग प्रतिवर्ष स्वर्ण-पदक देने हेतु किया जायेगा। यह स्वर्ण-पदक छात्र / छात्रा को उसके "Outstanding academic/extracurricular/Social activities" के आधार पर निर्णय कर प्रदान किया जावेगा।	उपयुक्त प्रत्याशियों की अनुपलब्धता के कारण संशोधन किया जाना
		In clause 7, 8 and 9 after serial No. 6 the following is to be inserted	
		7. An expert committee constituted by the Vice-Chancellor and consisting of three members (1. VC's Nominee - Ar academician of repute from within or outside the University; 2. Dear Faculty of Science of PRSU; and 3. Dean of	

any other Faculty) will screen the application from the prospective candidated and recommend a single name for the award to the Vice-Chancellor for	

दिनांक :

कुलसचिव पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर



# पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



Regulation No. - 153 (E.C. Under - -2014)

#### LATE, PT. MANRAKHAN LAL DUBEY MEMORIAL GOLD MEDAL

Donor

Dr. Vyas Narayan Dubey,

B-2/5, Manas Kunj, Lokmanya Grih Nirman Samiti,

Rohini Pooram, Raipur- 492010

Mob.No. - 98261-28327

Value of Endowment

Rs. 50,000.00 (Rs. Fifty Thousand Only)

B.No./R.No. Gbk-254 Dated- 22-Jan.-2014

**Award** 

One Gold Medal

- The Endowment shall be called "Late. Pt. Manrakhan Lal Dubey Memorial Gold Medal" and it shall be inscribed on one side of the Medal.
- 2. The net income accruing from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation of the University to the Student who secures first position in merit list in 'M.A. (Final) Chhattisgarhi' male student of University Examination of School of studies of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, provided that the candidate has passed the examination in the first attempt.
- 3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provisions of para-2, such an examinee who is younger or youngest in age, shall be awarded the medal.
- 4. The award of Gold Medal shall be effective from examination 2013-2014.



# पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



Regulation No. - 154 (E.C. Under - -2014)

#### LATE. (Smt.) SHAKUNTALA DEVI DUBEY MEMORIAL GOLD MEDAL

Donor

Shri Ravi Dubey,

Kalptaru, Professor Colony, Kuber Vihar,

Sector-3, Gali No.-13, Raipur- 492010

Mob.No. - 9329107276

Value of Endowment

Rs. 50,000.00 (Rs. Fifty Thousand Only)

B.No./R.No. Gbk-301 Dated- 03-Feb.-2014

Award - One Gold Medal

 The Endowment shall be called "Late. (Smt.) Shakuntala Devi Dubey Memorial Gold Medal" and it shall be inscribed on one side of the Medal.

- 2. The net income accruing from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation of the University to the Student who secures first position in merit list in 'M.A. (Final) Chhattisgarhi' female student of University Examination of School of studies of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, provided that the candidate has passed the examination in the first attempt.
- In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provisions of para-2, such an examinee who is younger or youngest in age, shall be awarded the medal.
- 4. The award of Gold Medal shall be effective from examination 2013-2014.



# PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (CHHATTISGARH) RECOMNDED NO CHANGE OF SYLLABUS BY BOS FOR THE SESSION OF 2014-15 IN RESPECT OF SESSION 2013-14

SR.NO.	BOARD	CLASS
1	BOARD OF STUDIES IN HINDI	MA PREV HINDI
		MA FINAL HINDI
		M.PHIL HINDI
	BOARD OF STUDIES IN LINGUISTICS	MA SEMESTER I-IV LINGUISTICS
	BOARD O. C.	MA PREV LINGUISTICS
		MA FINAL LINGUISTICS
		M.PHIL LINGUISTICS
	BOARD OF STUDIES IN LIBRARY & INF. SC.	B.LIB
3	BOARD OF STODIES IIV EIGH	M.LIB
		M.PHIL
	BOARD OF STUDIES IN SOCIOLOGY	MA SEMESTER I-IV SOCIOLOGY
4	BOARD OF STUDIES IN SOCIOEOU.	MA SEMESTER I-IV SOCIAL WORK
		M.PHIL SOCIOLOGY
	BOARD OF STUDIES IN ECONOMICS	MA SEMESTER I-IV ECONOMICS
5	BOARD OF STODIES IN ECONOMICS	M.PHIL ECONOMICS
	BOARD OF STUDIES IN PSYCHOLOGY	MA SEMESTER I-IV PSYCHOLOGY
6	BOARD OF STODIES IN FSTCHOLOGY	MA PREV PSYCHOLOGY
<del> </del>		MA FINAL PSYCHOLOGY
<u></u>		M.PHIL PSYCHOLOGY
	OF STUDIES IN A INDIAN HISTORY	M.PHIL A INDIAN HISTORY
7	BOARD OF STUDIES IN A INDIAN HISTORY	M.PHIL GEOGRAPHY
8	BOARD OF STUDIES IN GEOGRAPHY	MA/MSC IN STATISTICS
9	BOARD OF STUDIES IN STATISTICS	M.PHIL STATICS
	TO THE POTABLY	M.SC SEMESTER I-IV BOTANY
10	BOARD OF STUDIES IN BOTANY	M.PHIL BIOSCIENCE
11	BOARD OF STUDIES IN BIO.SCIENCE	M.SC BIOCHEMISTRY
12	BOARD OF STUDIES IN BIOCHEMISTRY	M.PHIL ANTHROPOLOGY
13	BOARD OF STUDIES IN ANTHROPOLOGY	M.SC. BIOTECHNOLOGY
14	BOARD OF STUDIES IN BIOTECHNOLOGY	M.PHIL BIOTECHNOLOGY



## PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (CHHATTISGARH) RECOMNDED CHANGE IN COURSE ORDINANCE FOR THE SESSION OF 2014-15 IN RESPECT OF SESSION 2013-14

	BOARD	PARTICULAR
SR.NO.	BOARD	ENHANSHMENT OF DESSERTATION
	BOARD OF STUDIES IN BIO.SCIENCE	PERCENTAGE FROM 65% TO 75%
1	BOARD OF STUDIES IN BIOLSCIENCE	ENHANSHMENT OF DESSERTATION
	BOARD OF STUDIES IN BIOCHEMISTRY	PERCENTAGE FROM 65% TO 75%
2	BOARD OF STUDIES IN BIOCHEMISTRY	ENHANSHMENT OF DESSERTATION
	A STANDING IN PIOTECHNOLOGY	PERCENTAGE FROM 65% TO 75%
3	BOARD OF STUDIES IN BIOTECHNOLOGY	ENHANSHMENT OF DESSERTATION
	THE STANDIES IN MICHORIO	PERCENTAGE FROM 65% TO 75%
44	BOARD OF STUDIES IN MICROBIO	WHOLE ORDINANCE OF
	BOARD OF STUDIES IN COMPUTER SCIENCE	BCA/PGDCA/MCA/MSC(IT)

नस्ती झमांक पृष्ठ हमांक शाखा का नाम-	
प्रभारी अधिकारी का नाम श्री र व्या व्या व्या व्या व्या व्या व्या व्या	
प्रभारी लिपिक का नाम -	
विषय के 32 सिस्टम सम्बन्धित (सेमेस्टर)	_
	_

स्व दिनाक 5.2.14

दिनांक 22-01-14 को प्रो. ए.के.पित, प्रो. ए.के.गुप्ता,उपकुलसचिव(अका.) एवं डॉ. मनोज तिवारी (प्रभारी,कम्प्यूटर सेंटर) की उपस्थित में उक्त एवं अन्य संबंधित बिंदुओ पर चर्चा की गई एवं निम्नानुसार टीप दिया गया —

- जिन कक्षाओं में जो केडिट उल्लेखित है, उसी अनुसार कुल केडिट लिया जाना है, चाहे वह निर्धारित केडिट 80 से अधिक या कम हो।
- 2. रेगूलेशन के बिंदु कं. 04 में उल्लेखित grade point scale प्रत्येक प्रश्न-पत्र का है,अतः प्रत्येक प्रश्न-पत्र के अंक दसमलव में नहीं आते हैं।
- 3. Course का अर्थ Paper है। अतः तदअनुसार SGPA निकाला जाना है। CGPA के संबंध में Credit point का अर्थ Credit point=credit of the Paper \* grade point एवं Credits का अर्थ Total credit है।
- 4. रेगूलेशन नं. 149 में आर्डिनेस कं 170 के अंतर्गत वि.वि. अध्ययनशालाओं में संचालित पाठ्यकमों में केंडिट बेस सिस्टम लागू किया जाना उल्लेखित है। इस रेगूलेशन के बिंदु कं 04 में उल्लेखित grade point scale को आर्डिनेंस कं 170 के अनुसार संशोधित किया जाना है।
- 5. वि.वि. अध्ययनशालाओं में एम.बी.ए., एम.सी.ए.,एम.फार्मा, एम.पी.एड., एम. लिब. एवं एम.एस.सी.(आई.टी.) पाठ्यक्रम भी संचालित है जो कि क्रमशः आर्डिनेस कं 88,85,159,172,74 एवं 150 से संचालित होते है, जिनमें उत्तीर्ण होने का मापदण्ड अलग— अलग है। इन पाठ्यक्रमों में भी केंडिट बेस सिस्टम लागू किया जाना है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक आर्डिनेस के अनुसार अलग—अलग grade point scale बनाये जाने की आवश्यकता है। कृपया ज्ञात हो कि आर्डिनेस कं 88,85,159,172,74 एवं 150 से संचालित पाठ्यक्रमों का रेगूलेशन कं 149 में उल्लेख नहीं है।
- 6. ग्रेस से उत्तीर्ण छात्रों को दिये जाने वाले credit एवं grade point का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
- 7. परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु आर्डिनेंस कं 170 का पालन करते हुये केंडिट बेस सिस्टम लागू किया जाना है।

वि.वि. अध्ययनशालों में संचालित पाठ्यक्रमों में केंडिट बेस सिस्टम लागू किये जाने के संबंध में उक्त बिंदुओं में दिये गये प्रस्ताव के आधार पर रेगूलेशन कं 149 में आवश्यक संशोधन किया जाना है।

J 819/14

7.720.14

9200



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 10454 /अका./2013

रायपुर, दिनांक : 3 /05/2013

# ।। अधिसूचना ।।

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17.04.2013 के कार्यवृत्त (अध्यक्ष की अनुमित से विषय क्रमांक 1 में Inclusion of Grade and Credit points (CGPA) in mark sheet of the students of PG courses running in the UTD under the Ordinance 170) कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.04.2013 के पूरक विषय सूची क्रमांक 1 में अनुमोदन हुआ है। रेगुलेशन नं. 149, अधिसूचना क्रमांक 10394/अका./2013 दिनांक 07.05.2013 में आदेशानुसार आंशिक संशोधन (\*) हुआ है जो निम्नांकित है —

#### Regulation No. 149 (E.C. Under 23-04-2013)

[Inclusion of Grade and Credit points (CGPA) in mark sheet of the students of PG courses running in the UTD under the Ordinance 170]

- 1. The regulation specifies the method of inclusion of grade and credit points in the mark sheet of the students pursuing PG courses in the UTD under the provision of the Ordinance 170.
- 2. A student has to earn minimum number of prescribed credits in each Semester in their respective subject and a total of 80 credits for the entire course of study as specified in the syllabus.
- 3. A student shall be awarded Masters Degree who has obtained at last 4 Grade Point in a Course independently in theory and practical/ lab course and minimum of 4.0 Semester Grade Point Average (SGPA) in each Semester. The Cumulative Grade Point Average (CGPA) will be calculated based upon SGPA of all four semesters.
- 4. The student shall be declared successful and will be awarded CGPA/ Division through conversion of Percentage of Marks to Grade Point in 10 Point Scale in the following manner:

Percentage of Marks	Grade Point	Description
90 and above	10	First/ O
80-89	9	First/ A
70-79	8	First/ B
60-69	7	First/ C
48-59	6	Second/ D
36-47	5	Third/ E
Below 36	4.0	Dropped/ F

#### 5. Calculation of SGPA:

\( \sum\_{\text{Credit of the Course x Grade Point}} \)
\[ \sum\_{\text{Total Credits in the Semester}} \]

6. Calculation of CGPA:

 $\sum \frac{Credit\ Point\ of\ all\ previous\ and\ current\ Semesters}{Credits\ of\ all\ previous\ and\ current\ Semesters}$ 

- 7. A student failing to appear or securing less than 4.0 SGPA in any semester examination shall be allowed to pursue the courses for the next following semester. Such students shall have failed or failed in aggregate (with ATKT) or ATKT status in I, II, III or IV semesters and their scheme of examination shall be as follows:
  - (i) A student failing to qualify the examinations of any semester shall be permitted to appear in the ATKT/ reexamination along with the following semester examination.
  - (ii) The provision of revaluation and re-totaling will not be available.
- 8. The matters not covered in this regulation shall be governed by the respective provisions of the University Act / Statute/ Ordinances / regulations.

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक <u>10</u>455/अका./2013

रायपुर, दिनांक : 🔀 /05/2013

01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर

02. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला,

03. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,

04. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,

05. स.कु.स. परीक्षा/ उ.कु.स. गोपनीय/वि.क.अ. विकास/प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन,

06. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रभारी अधिकारी (अका.)

•